न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 729/2022

अनवान : –

1. ऋषि कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 27/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर–ए तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 18/16 के प0न0 304/438 मु0न0 55 के किला न0 23 की 0.2530है0, प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3/1 की 0.0250है0 गै0मु0 खाला 3/2 की 0.2280है0 भूमि किला न0 8 की 0.2530है0 कुल किता 4 की 0.7590है0 भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 1 एनएचआर – ए तहसील नोहर की उक्त कृषि भूमि में प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3/1 की 0.0250है0 गै0मु0 खाला है क्योंकि पूर्व मे यही खाला चलता था और इससे ही पानी सिंचाई होती थी लेकिन वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा नक्शों में परिवर्तन कर नई सिंचाई योजना के तहत पत्थर लाईन पर पक्के खाले का निर्माण कर दिया है इसलिए रोही मौजा चक 1 एनएचआर –ए तहसील नोहर के प0.न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3 में अब खाला नही चलता है नियमानुसार खाला की भूमि खातेदार की होती है अब वर्तमान में नई स्कीम में [illegible] किले में कोई खाला नही है तथा ना ही कोई खाला की आवश्यकता है। इसलिए रिकार्ड में गै0मु0 खाल[illegible] करवाकर प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3 में अब कोई खाला नही चलता [illegible] 304/439 मु0न0 37 के किला न 3 में 0.2530है0 भूमि दर्ज कर[illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] जाकर प्रतिवादीगण [illegible] सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने की ओर से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया। प्रतिवादी स0 2 अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थना में नकल जमाबंदी रोही मौजा 1 एनएचआर-ए सम्वत् 2075–2078 खाता स0 18/16, प्रमाणित प्रतिलिपी पर्चाखतौनी चक 1 एनएचआर-ए, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी कस्बा नोहर सम्वत 2009–2012 आदि दस्तावेज पेश किये। साक्ष्य वादी मे वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि मे मु0न0 67 के किला न0 3/1 की 0.0250है0 गै0मु0 खाला राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है लेकिन मौके पर किसी भी प्रकार का खाला नही है। सिचांई विभाग के मुताबिक भी उक्त किला मे स्वीकृत चक स्कीम के अनुसार किसी भी प्रकार का खाला मौके पर मौजूद नही है। इसलिए किला न0 3/1 की 0.0250है0 गै0मु0 खाला की भूमि से खाला कलमजन किया जाकर उक्त भूमि वादी की शेष खातेदारी में दर्ज की जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबदी, पुरानी जमाबंदी, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा, मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 1 एनएचआर-ए तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 18/16 के प0न0 304/438 मु0न0 55 के किला न0 23 की 0.2530है0, प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3/1 की 0.0250है0 गै0मु0 खाला 3/2 की 0.2280है0 भूमि किला न0 8 की 0.2530है0 कुल किता 4 की 0.7590है0 भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि में किला न0 3/1 की 0.0250है0 गै0मु0 खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं को वादी ने निरस्त करवाने के लिए वाद पेश किया है। हमारे द्वारा जल संसाधन विभाग नोहर से खाला के संबंध में रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जाकर रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट चक 1 एनएचआर-ए के प0 न0 304/438 मु0न0 55 के किला न0 23 व 304/439 के मु0न0 67 के किला न0 3/1 में स्वीकृत चक स्कीम के अनुसार किसी भी प्रकार का खाला नही होना स्वीकार किया गया है। तहसीलदार (राजस्व) नोहर से भी मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार (राजस्व) नोहर के पत्रांक 144 दिनांक 17.02.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि वर्तमान में मौके पर प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3/1 रकबा 0.0250है0 गै0मु0 खाला की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कच्चा/पक्का खाला नही है। मौके पर भूमि खाली है, कोई निर्माण नही है। उक्त भूमि को गै0मू0 खाला से मुमकिन किया जाना उचित बताया गया है। गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम [illegible] न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज [illegible] के [illegible] भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया [illegible] की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेगी जिसके खाते में यह कम [illegible] गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर–ए तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 18/16 के प0न0 304/438 मु0न0 55 के किला न0 23 की 0.2530है0, प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3/1 की 0.0250है0 गै0मु0 खाला 3/2 की 0.2280है0 भूमि किला न0 8 की 0.2530है0 कुल किता 4 की 0.7590है0 भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3/1 की 0.0250है0 में गै0मु0 खाला को कलमजन किया जाकर प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3/1 की 0.0250है0 भूमि व किला न0 3/2 की 0.2280है0 भूमि के जगह प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3 की कुल 0.2530है0 भूमि वादी के नाम मुमकिन दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावें। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 729/2022

अनवान : –

1. ऋषि कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल व वकील प्रतिवादी पेशकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर–ए तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता सं0 18/16 के प0न0 304/438 मु0न0 55 के किला न0 23 की 0.2530है0, प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3/1 की 0.0250है0 गै0मु0 खाला 3/2 की 0.2280है0 भूमि किला न0 8 की 0.2530है0 कुल किता 4 की 0.7590है0 भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3/1 की 0.0250है0 में गै0मु0 खाला को कलमजन किया जाकर प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3/1 की 0.0250है0 भूमि व किला न0 3/2 की 0.2280है0 भूमि के जगह प0न0 304/439 मु0न0 67 के किला न0 3 की कुल 0.2530है0 भूमि वादी के नाम मुमकिन दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावें। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner